प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 172 सन 2021
अनवान :–

1. प्याराराम पुत्र शेराराम जाति बाजीगर निवासी जसाना हाल आबाद टिटू खेडा तहसील सिरसा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. देशराज पुत्र शेराराम जाति बाजीगर निवासी जसाना हाल आबाद टिटूखेडा तहसील सिरसा जिला सिरसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :–

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 आरएमपी के खाता संख्या 70/72 की कुल 2.0870हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो ने वाद भूमि खरीद की गई थी किन्तु सहवन से समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का भाई है के नाम में से दर्ज भूमि वादी अपने हक हिस्सा की भूमि है को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो के द्वारा खरीद की गई थी जिसमें से कुछ भूमि वादी के नाम दर्ज हो गई किन्तु 1.15 बीधा भूमि अधिक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई है वादी के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से कम की जाकर वादी के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही है।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 आरएमपी के खाता संख्या 70/72 की कुल 2.0870हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो ने वाद भूमि खरीद की गई थी किन्तु सहवन से समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाना चाहता है जिसे वादी ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 आरएमपी के खाता संख्या 70/72 की कुल 2.0870हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो ने सयुक्त तौर से खरीद की थी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादी के हक हिस्सा की 1.15 बीधा भूमि दर्ज हो गई है जिसे अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के हक हिस्सा की भूमि उसके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व ईकबाल सहमति पेश की जा चुकी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 आरएमपी के खाता संख्या 70/72 की कुल 2.0870हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में से प0न0 313/394 के किला न0 1/0.2530 ,2/0.1897 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....................

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. प्याराराम पुत्र शेराराम जाति बाजीगर निवासी जसाना हाल आबाद टिटू खेडा तहसील सिरसा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1 देशराज पुत्र शेराराम जाति बाजीगर निवासी जसाना हाल आबाद टिटूखेडा तहसील सिरसा जिला सिरसा

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 172 सन 2021 निर्णय दिनांक–

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ~~ओरएसपी~~ 5RDM के खाता संख्या 70/72 की कुल 2.0870हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में से प0न0 313/394 के किला न0 1/0.2530 ,2/0.1897 हैक भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट टोपरिया

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner